

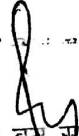
प्रारूप-50
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड, पुरोला, में कुनारा से लुदराला दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- | | | |
|--------------------------------|----|--------------|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी | :- | V |
| 2. हरियाली का घनत्व | :- | 0.1 |
| 3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे० | :- | 6,57,000.00 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | :- | 2.09 ha. |
| 5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि | :- | 13,73,130.00 |


उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रारूप-3

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम - जनपद-उत्तरकाशी के ब्लाक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम-कुनारा-लुदराला के विद्युतीकरण का कार्य।

(i)	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	:	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	:	उत्तरकाशी
(iii)	जिला वन प्रभाग	:	टोंस वन प्रभाग, पुरोला
(iv)	पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:	2.09 हे०
2.	पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति	:	वन विभाग का स्वामित्व
3.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा	:	
	(i) वनस्पति का धनत्व	:	0.1
	(ii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:	सूचना संलग्न
	(iii) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:	सूचना संलग्न
4.	भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसार
5.	वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	:	वन भूमि के अन्तर्गत
6.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	:	लागू नहीं
7.	पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	:	लागू नहीं
8.	(i) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:	नहीं
	(ii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	:	नहीं
	(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों	:	नहीं

- क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- (iv) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
9. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
10. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें
- (i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे
- (iii) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (iv) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (v) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
11. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे हैं।
- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

12. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

13. प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र :
- (2) जिला का वन क्षेत्र :
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से :
- (4) वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र :
- (5) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण :
- (6) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :
- (7) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति :
- (8) वन भूमि पर :
- (9) वनेत्तर भूमि पर :

14. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :

स्थानीय जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकास को मध्यनजर रखते हुये वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान:

तारीख:

पुरेला
10.11.17

हस्ताक्षर

नाम

अप्रकाश कुमार वर्मा
जिला वन संरक्षक
शासकीय मोहर
टैंस वन प्रभाग, पुरेला